

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27, 1982/चैत्र 6, 1904
NO. 94] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27, 1982/CHAITRA 6, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कल्पमी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1982

सा. धा. नि. 270(अ) :—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विधि सेवा नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विधि सेवा (संशोधन) नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय विधि सेवा नियम, 1957 के नियम 1 के उप-नियम (1), नियम 2 के खण्ड (छ), नियम 3 के उप-नियम (1) और प्रथम अनुसूची के शीर्षक में “केंद्रीय विधि सेवा” शब्दों के स्थान पर “भारतीय विधि सेवा” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-12018/4/81-प्रश्ना. 1 (विधायी कार्य)]

बी. एम. सेखों, संयुक्त सचिव
और विधि सलाहकार

†

मूल नियम अधिमूचना सं. का. नि. आ. 3034-ए (सी एन एस आर), तारीख 25-9-1957 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

तत्पश्चात् इनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया, अर्थात् :—

1. (1) अधिमूचना सं. सा. का. नि. 1608, तारीख 28-9-1963 ।
- (2) अधिमूचना सं. सा. का. नि. 1416, तारीख 27-5-1968 ।
- (3) अधिमूचना सं. सा. का. नि. 1423, तारीख 27-7-1963 ।
- (4) अधिमूचना सं. सा. का. नि. 1050, तारीख 3-5-1969 ।
- (5) अधिमूचना सं. सा. का. नि. 1981, तारीख 23-8-1969 ।
- (6) अधिमूचना सं. सा. का. नि. 2, तारीख 6-1-1979 ।
- (7) अधिमूचना सं. सा. का. नि. 72, तारीख 20-1-1979 ।
- (8) अधिमूचना सं. सा. का. नि. 658, तारीख 17-4-1979 ।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1982

G.S.R. 270(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Legal Service Rules, 1957, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Central Legal Service (Amendment) Rules, 1982.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Legal Service Rules, 1957 in sub-rule (1) of Rule 1, clause (g) of rule 2, sub-rule (1) of rule 3, and the heading to the First Schedule,

for the words "Central Legal Service", the words "Indian Legal Service" shall be substituted.

[File No. A-12018/4/81-Admn. 1(LA)]
B. S. SEKHON, Jt. Secy. & Legal Adviser

Principal rules published vide notification No. S.R.O. 3084-A, (CLSR) dated 25-9-1957.

Subsequently amended by :—

- I. (i) Notification No. G.S.R. 1608, dated 28-9-63;
- (ii) Notification No. G.S.R. 1416, dated 27-7-68 ;
- (iii) Notification No. G.S.R. 1423, dated 27-7-68 ;
- (iv) Notification No. G.S.R. 1050, dated 3-5-69 ;
- (v) Notification No. G.S.R. 1981, dated 23-8-69 ;
- (vi) Notification No. G.S.R. 2, dated 6-1-79 ;
- (vii) Notification No. G.S.R. 72, dated 20-1-79 ;
- (viii) Notification No. G.S.R. 658, dated 17-4-79.

